


प्राप्ति/रीवा/2018/01918

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा (म0प्र0)



लल्लू तनय स्व0 श्री बैजू चमार निवासी ग्राम कर्रौह तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

— निगरानीकर्ता

बनाम

मुन्नालाल चमार तनय स्व0 श्री बैजू चमार निवासी ग्राम कर्रौह तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

— गैरनिगरानीकर्ता

भ्रष्टाचारी आरोपित
दामाद | 21-3-18

कलकत्ता अफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट फोर्म) द्वारा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय
अधिकारी तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0 के
राजस्व प्रकरण क0 166/अ-27 अन्तरिक्ष आदेश
दिनांक 21/02/2018

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 स0

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त इतिहास

उपरोक्त राजस्व प्रकरण बटनवारा से सम्बन्धित है, विचारण न्यायालय में निगरानीकर्ता ने आपसी हिस्स बांट का आवेदन पत्र पेश किया था जहाँ पर गैर निगरानीकर्ता को आहुत कर बटनवारा के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु समय दिया गया साथ ही गैर निगरानीकर्ता ने निगरानीकर्ता के आवेदन पत्र का समर्थन करते हुए बटनवारा किये जाने में अपनी पूर्ण संतुष्टि प्रदान की थी निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्ता एक ही वंश वृक्ष की शाखा से उत्पन्न संताने जिसके कर्ताखानदान बैजू चमार थे उन्ही के निर्देशन में बटनवारा का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में पेश किया गया था, पिता अपने जीवनकाल में ही कानूनी दिक्कत व परेशानी से बचने के उद्देश्य से ही आवेदन पत्र पेश

1

लल्लू तनय

14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रावालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निगो / रीवा / भू-रा० / 2018 / 01918

जिला- रीवा

लल्लू चमार / मुन्नालाल चमार

| (1) | (2) | (3) |
|----------|--|-----|
| 18.12.18 | <p>1. आवेदक की ओर से श्री आर०के० गौतम अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील जवां, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 166/अ-27/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21.02.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 17.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> | |

लल्लू
चमार

मुन्नालाल
चमार